# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-242RAAJodhpur2024-139RTA225 Farukh Khan ors Vs Abdul Kadar etc

01. फारूक खां पुत्र तोसू खां जाति सिंधी मुसलमान, निवासी- लोकायत तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
02. शहीद अला पुत्र श्री कायम दीन, जाति सिंधी मुसलमान, निवासी- लोकायत तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
03. अब्दुल वहाब पुत्र कायमदीन जाति सिंधी मुसलमान, निवासी- लोकायत तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

**अपीलाण्ट्स ...**

**ब**

**ना**

**म**

01. अब्दुल कादर पुत्र अता मोहम्मद जाति सिपाही, निवासी- बेंगटी कला, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।

**रेस्पो. ...**

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 14 जून 2024 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 113/2023 अब्दुल कादर बनाम फारूख खां इत्यादि**

---

**उपस्थित-**

श्री सिद्धार्थ परिहार ,अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

## नि र्ण य

**दिनांक : 28 जनवरी 2025**

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 113/2023 अनवान अब्दुल कादर बनाम फारूख खां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 15 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 407/462 एवं 407 ग्राम जेमला में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 407/13 में सें सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा उक्त रास्ते को रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु लघुतम एवं निकटतम रास्ता दर्शाते हुए तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए चलने योग्य ही नहीं था। रेस्पोडेंट संख्या एक की भूमि खसरा नं. 407/462 अथवा अपीलार्थी की भूमि खसरा नं. 407/13 के आस-पास कोई सड़क ही नहीं निकलती है। खसरा नं. 407/462 के बाद लम्बी चौड़ी गौचर की भूमि है, जिसमें रेस्पोडेंट ने अपनी ढाणी बना रखी है। इसी प्रकार अपीलार्थी की भूमि खसरा नं. 407/13 के आस-पास भी कोई सड़क नहीं है। इस कारण इस मामले में धारा 251-ए के तहत कोई रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया ही नहीं जा सकता। खसरा नं. 406/1, 407/19, 407/16, 407/462, 407/17 व 407/12 की संपूर्ण भूमियॉ गौचर भूमि से लगती है। खसरा नं. 406/1 की भूमि जो गौचर से लगती है, उक्त भूमि रेस्पोडेंट के बेटे के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट के नल-कूप खुदे हुए है तथा गौचर से चलकर इस खसरे की भूमि में उनका निरंतर आवागमन है। अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलार्थी की भूमि खसरा नं. 407/13 में जिस तरह से रास्ता उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करवाया गया है, उस से अपीलार्थी की भूमि के दो टुकड़े हो जायेंगे, जबकि उक्त खसरे की संपूर्ण भूमि पर सिंचित काश्त होती है एवं नलकूप खुदा हुआ है व तारबंदी की हुई है। इस कारण धारा 251-ए के तहत इस तरह का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलांट्स की राय थी कि कुछ रास्ता खसरा नं. 406/1 में से दिया जावे एवं कुछ रास्ता अपीलांट् अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 407/13 में सें देने के लिए तैयार है, किंतु रेस्पोडेंट संख्या एक व विचारण न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट्स की उक्त राय पर ध्यान दिया गया तथा न ही पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य को निर्णय में कंसीडर किया गया है। अपीलांट्स की ओर से एकपक्षीय मौका रिपोर्ट पर भी उज्र पेश किये गये तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का विकल्प बताया गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के उज्र का विधिसम्मत निस्तारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। धारा 251-ए के तहत कानूनन काश्तकार को अपनी काश्त से रास्ते तक पहुच बनाने के लिए रास्ता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। हस्तगत मामले में प्रदान किया गया रास्ता किसी गैर मुमकिन रास्ते से नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 जून 2024 को निरस्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2022-23(सप्ली.)आर.आर.टी. 282 की न्यायिक नजीर पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा नं. 407 एवं 407/462 दोनो रेस्पोडेंट संख्या एक की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमिया है। उक्त भूमियो के बीच में अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 407/13 अवस्थित है। पड़ौस में स्थिति गौचर भूमि में गेवल सड़क चलती है। विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नं. 407/13 एवं 407/62 की भूमियों की सीध को देखते हुए रास्ता स्वीकृत किया है। रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन रास्ता रेस्पोडेंट संख्या एक का आत्यंतिक आवश्यकता का रास्ता है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 13.07.2023 के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 407/13 के बीच में से रास्ते का आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की पालना से अपीलांट्स की भूमि दो असमान भागों में विभक्त हो जायेगी जो प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के अनुरुप नहीं है।

अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब एवं अपील स्तर पर किये गये कथनों के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नं. 407/5 एवं खसरा नं. 407/13 की उभयनिष्ठ सीमा के सहारे होते हुए खसरा नं. 406/1 में सें होते हुए वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध होना प्रतीत होता है। अपीलांट्स द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उक्त विकल्प पर अपनी सहमति भी प्रदान की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विकल्प बाबत मौका रिपोर्ट तलब किये बिना अपीलांट्स की खातेदारी भूमि के बीच में सें रास्ता प्रदान किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 113/2023 अनवान अब्दुल कादर बनाम फारूख खां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 14 जून 2024 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि रेस्पोडेंट्स के आवगमन हेतु मौके पर ग्राम जेमला के खसरा नं. 407/5 एवं खसरा नं. 407/13 की उभयनिष्ठ सीमा के सहारे होते हुए खसरा नं. 406/1 में सें होते हुए उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते के विकल्प बाबत मौका रिपोर्ट तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त समय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर